न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भवंर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 247/2021 (2021/00247) जिला–अजमेर

रामदेव पुत्र श्री लादू जाति गुर्जर निवासी ग्राम चाचियावास तहसील व जिला अजमेर।

–––अपीलार्थी

बनाम

सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर।

––प्रत्यर्थी

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर दिनांक 04–10–2021
अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 31/2014
बउनवान रामदेव बनाम सरकार

————

उपस्थित–
1. श्री महेन्द्र सिंह चौहान अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री आकाश पारीक राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांकः– 12–12–2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 04–10–2021 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कि जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में उल्लेखित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी ग्राम चाचियावास मे अपने पूर्वजों के समय से ही रहवासी होकर आज दिनांक तक अपने परिवार सहित निवास कर रहा है। अपीलार्थी के दादा ही वल्द दुर्गा थे जिनका एक मात्र पुत्र अपीलार्थी का पिता लादू पुत्र हीरा गुर्जर था जिनका एक मात्र पुत्र अपीलार्थी एक मात्र वारिस है। ग्राम चाचियावास में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1331 का एक बहुत बड़ा रकबा 89 बीघा 9 बिस्वा का था जिसमें से करीब 40 बीघा भूमि अपीलार्थी के दादा स्व0 हीरा वल्द दुर्गा गुर्जर के कब्जे काश्त में सम्वत् 2013 से ही चली आ रही थी जो कि जमाबंदी सम्वत 2016 लगायत 2019 से पूर्णतया सिद्ध है। अपीलार्थी के दादा स्व0 हीरा वल्द दुर्गा के नाम गैर खातेदारी से खातेदारी हक का नामान्तरकरण संख्या 89 दिनांक 24–5–1965 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खसरा नम्बर 1331 में से 41 बीघा 4 बिस्वा का स्वीकार हो चुका था परन्तु नामान्तरकरण संख्या 86 का अमल तत्पश्चात तैयार जमाबंदी में दर्ज नहीं होने के कारण अपीलार्थी के दादा का नाम आगे वर्किंग एवं आधार जमाबंदी में दर्ज होने से रह गया। अपीलार्थी के दादा व पिता ने खसरा नम्बर 1331 में से 19 बीघा भूमि को उपजाऊ व कृषि योग्य बनाया। अपीलार्थी को विवादित आराजियात सिवायचक दर्ज होने का ज्ञान नहीं था तथा वर्ष 2013 में पटवारी हल्का चाचियावास द्वारा अपीलार्थी को अन्य कब्जेशुदा भूमि खसरा नम्बर 771 के साथ साबिक खसरा नम्बर 1956 में से रकबा 0.80 हैक्टर का भी धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का नोटिस दिया तब अपीलार्थी को उक्त इन्द्राज के बारे में जानकारी हुई तत्पश्चात अपीलार्थी द्वारा कब्जेशुदा आराजियात खसरा नम्बर 1331 जिसके वर्किंग खसरा नम्बर 1617 रकबा 19 बीधा बाबत वर्तमान आधार खसरा नम्बर 1956 रकबा 2.83 हैक्टर बाबत इन्द्राज दुरूस्ती हेत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर कानूनी भूल की है।

उनका यह भी कथन है कि विवादित आराजियात बाबत अपीलार्थी के दादा का नाम तत्कालीन चौसाला जमांबदी में स्पष्ट रूप से अंकित था तथा राजस्व कर्मचारियों ने उक्त जमाबंदी के आधार पर ही अन्य जमाबंदी मुर्तिब कर ली थी परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा पुरानी जमाबंदी से नई जमाबंदी मुर्तिब करते समय सहवन से पूर्वज का नाम दर्ज नहीं किया। राजस्व कर्मचारियों द्वारा पुनः उक्त इन्द्राज का रिपीटेशन नई जमाबंदी में करना था परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा ऐसा नहीं किया गया एवं उक्त त्रुटि लिपिकीय त्रुटि थी जिसकी दुरूस्ती हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया।

उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में उक्त प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 की परिधि में नहीं आता है जबकि वास्तविकता यह है कि विवादित आराजियात बाबत अपीलार्थी के पूर्वजों का नाम चौसाला जमाबंदियों में स्पष्ट रूप से दर्ज था तथा राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि के कारण अपीलार्थी के पूर्वज एवं तत्पश्चात अपीलार्थी का

नाम विवादित आराजियात बाबत राजस्व जमाबंदी में नहीं किया गया। उक्त त्रूटि लिपिकीय त्रुटि थी जिसकी दुरूस्ती केवल धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत ही की जा सकती थी। उक्त तथ्यों को नजर अन्दाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–10–2021 निरस्त किया जाकर वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2067 से 2070 में दर्ज खसरा नम्बर 1956 रकबा 2.83 हैक्टर बाबत अपीलार्थी के नाम खातेदारी दर्ज कर इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी के राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया गया अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा–136 तहत प्रथम दृष्टया लिपिकीय टंकण त्रुटि को व पक्षकारों की सहमति से दुरूस्त किया जा सकता है। राजस्व रेकार्ड इन्द्राज दुरूस्ती धारा 136 में अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। अपीलार्थी इन्द्राज दुरूस्ती हेतु सक्षम न्यायालय में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर नियमित वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04–10–2021 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की अपील मीमो पर सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह पाया कि ग्राम चाचियावास में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1331 का एक बहुत बड़ा रकबा 89 बीघा 9 बिस्वा का था जिसमें से करीब 40 बीघा भूमि अपीलार्थी के दादा स्व0 हीरा वल्द दुर्गा गुर्जर के कब्जे काश्त में सम्वत् 2013 से ही चली आ रही थी जो कि जमाबंदी सम्वत 2016 लगायत 2019 से पूर्णतया स्पष्ट है। अपीलार्थी के दादा स्व0 हीरा वल्द दुर्गा के नाम गैर खातेदारी से खातेदारी हक का नामान्तरकरण संख्या 89 दिनांक 24–5–1965 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खसरा नम्बर 1331 में से 41 बीघा 4 बिस्वा का स्वीकार हो चुका था परन्तु नामान्तरकरण संख्या 86 का अमल तत्पश्चात तैयार जमाबंदी में दर्ज नहीं होने के कारण अपीलार्थी के दादा का नाम आगे वर्किंग एवं आधार जमाबंदी में दर्ज होने से रह गया। अपीलार्थी को धारा–91 का नोटिस देने पर अपीलार्थी को विवादित आराजियात सिवायचक होने की जानकारी हुई। राजस्व कर्मचारियों को नई जमाबंदी बनाते समय पुरानी जमाबंदी की नकल ज्यों की त्यो ही करनी होती है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा ऐसा नहीं कर अपीलार्थी के पूर्वजों के नाम दर्ज आराजी जिस पर की 1965 से कब्जा काश्त चला आ रहा है, को सिवायचक दर्ज कर दी जो विधिसम्मत नहीं है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा किसके आदेश से विवादित आराजियात सिवायचक दर्ज की है, का कोई उल्लेख जमाबंदी में नहीं है। जब विवादित आराजियात अपीलार्थी के दादा के नाम खातेदारी हक से दर्ज होकर नामान्तरकरण तस्दीक किया जा चुका

था तो विवादित आराजियात सिवायचक किस आधार पर दर्ज की गई, बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इन्द्राज दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो विधिसम्मत है तथा इस संबंध मे राजस्व रेकार्ड व मौके की जांच की जानी चाहिए जो कि नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–10–2021 त्रूटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की यह आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04–10–2021 अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 31/2014 बउनवान रामदेव बनाम सरकार त्रूटिपूर्ण होने से खारिज किया जाता है और प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे तहसीलदार, अजमेर से विवादित आराजियात बाबत कब्जे की मौका रिपोर्ट प्राप्त करे तथा राजस्व रेकार्ड व मौके की जांच कर अपीलार्थी को दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 12–12–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवंर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर